

क्रमांक:- एफ 11(95 अ)एफसीए/मुवस/2023/ 172
निमित्त,

दिनांक:- 18/01/23

उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 4.9696 ha. forest land for Development of Bewar Masuda-Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan. FP/RJ/ROAD/21332/2016

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 335 दिनांक 12.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रकरण में पार्ट-11 की पूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की है। उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो भूमि वन विभाग को आवंटित की है वह वन भूमि से सटी हुई ^न होकर कुछ दूरी पर है, जबकि वन भूमि से सटी हुई भूमि वन विभाग को आवंटित की जा सकती थी।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण से वन विभाग से सटी हुई भूमि आवंटित न करने का कारण एवं सटी हुई भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवंटित करवाकर प्रकरण पुनः इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

भवदीय
blue
(विजय एन.)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।